

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/ निप/ अलेसे III/ 274

दिनांक :- 10-3-2021

कार्यालय आदेश

श्री यशपाल मीणा [लिंक न. 10162] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दौसा को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/12/2018 से 20/12/2018 तक

कुल- 01 दिवस

उक्त कुल 01 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री यशपाल मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/ निप/ अलेसे III/ 274

दिनांक :- 10-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दौसा
2. कोषाधिकारी दौसा
3. श्री यशपाल मीणा कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दौसा
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)